न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 308/2020 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2020/00313)

गोपालसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोहरा थाना टोडाभीम जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 4.2.2015

उपस्थितिः—

श्री मोहनसिंह राना वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 10.10.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 4.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 के दौरान करौली जिले में शांतिपूर्वक मतदान कराने एवं जिलें में कानून व्यवस्था बनाये रखने के मध्यनजर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के द्वारा आदेश कमांक न्याय/9356—9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञाधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 3.1.2015 से पूर्व संबधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये गये थे। जिसका व्यापक प्रचार—प्रसार किया गया था। जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त दिनांक तक शस्त्र अनुज्ञा पत्र थाने में जमा नहीं कराए गए थे। उन्हें स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राष्ट्रदूत के दिनांक 14.01.2015 के संस्करण में शस्त्रों को जमा कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा पत्र क्रमांक 1141 दिनांक 31.01.2015 के द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची जिला कलक्टर को प्रेषित की गई। जिनके द्वारा सूचना देने के बाबजूद भी अनुज्ञापत्र में दर्ज हथियार को संबधित थाने में जमा नहीं करवाया गया। तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.1.2015 के आधार पर यह मानते हुये कि पत्र में वर्णित शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा नहीं करवाकर आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2015 पारित किया गया। जिसमें 23 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्रों को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया एवं इन सभी के हथियार जब्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची के कम संख्या 13 पर अपीलान्ट गोपालसिंह पुत्र मोतीसिंह का नाम भी अंकित है। जिला मजिस्ट्रेट करौली के आदेश दिनांक 04.02.2015 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश

होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को सहायक लोक अभियोजक के अनुपस्थित रहने के कारण वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.02.2015 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना एकतरफा में पारित किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को तत्समय नहीं हो सकी। उक्त आदेश की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जनवरी 2020 में जानकारी हुई। अपीलाधीन आदेश की नकल अपीलान्ट को दिनांक 02.03.2020 को प्राप्त हुई। इसी मध्य दिनांक 23.03.2020 से कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन घोषित हो जाने व कर्फ्यू लागू होने से आवागमन बन्द हो गया। लॉकडाउन खुलने व बसों का परिवहन प्रारम्भ होने पर बिना किसी देरी के अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुआ विलम्ब परिस्थितिवश व क्षमा किए जाने योग्य है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर बहस करते हुए तर्क दिया कि अपीलान्ट के लाइसेन्स संख्या 97/एच.एन.डी/74 में 12 बोर दुनाली नंबर 55225 दर्ज है। जिसका की विधिवत नवीनीकरण होता रहा है। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पंचायत आमचुनाव 2015 के संबंध में जारी सूचना के तहत संबंधित थाने में शस्त्र जमा नहीं कराने के आधार पर आदेश क्रमांक 519 दिनांक 04.02.2015 के द्वारा शस्त्र को जब्त सरकार किए जाने का आदेश पारित किया है, जो कि एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट पंचायत चुनाव 2015 के काफी समय पूर्व से उत्तर प्रदेश में रहकर जीविकोपार्जन कर रहा था। जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से जारी सूचना की अपीलान्ट को किसी भी माध्यम से कोई जानकारी नहीं हुई तथा जिन समाचार पत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित करवाई गई है। उनका उत्तर प्रदेश में वितरण नहीं होता है। इस कारण जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से जारी आदेश की पालना में शस्त्र थाने में चुनाव से पूर्व जमा कराने में असमर्थ रहा। जिला मजिस्ट्रेट करौली ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उनकी ओर से जारी आदेश क्रमांक 9356 दिनांक 29.12.2014 के बिन्दु संख्या 2 में ऐसे अनुज्ञा पत्रधारी जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं, को शस्त्र जमा कराने से छूट प्रदान की गई थी। चूंकि अपीलान्ट पंचायत चुनाव 2015 से काफी समय पूर्व उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा था तथा उसके द्वारा पंचायत चुनाव 2015 में किसी प्रकार भाग नहीं लिया गया था। इसलिए उक्त आदेश की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पालना में अपीलान्ट अपना शस्त्र थाने में जमा कराने के लिए बाध्य नहीं था, परन्तु इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा नजरंदाज किया गया। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त आदेश से अन्य जिन लोगों के शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलम्बित किए गए थे। उनमें से अधिकांश के अनुज्ञा पत्र बहाल किए जा चुके हैं। अपीलान्ट के वर्ष 2018 के चुनाव से पूर्व अपने गांव में आकर निवास करने के कारण उक्त चुनावों के संबंध में जारी की गई सूचना की पालना में अपना शस्त्र पुलिस थाना टोड़ाभीम में जमा कराया गया था। उस समय भी अपीलान्ट को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि उसका अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा कभी भी जिला मजिस्ट्रेट करौली के आदेश का जानबूझकर उल्लघंन नहीं किया गया, वरन् 2015 के चुनाव में राजस्थान राज्य में निवास नहीं करने व चुनाव में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेने के कारण शस्त्र जमा नहीं कराया जा सका था। अपीलान्ट के विरूद्ध न तो किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण ही दर्ज है और न ही शस्त्र का दुरूपयोग किए जाने का ही कोई मामला लम्बित है। चूंकि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2015 के द्वारा निरस्त किया गया है, जो कि एकतरफा में जारी किए जाने का निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2015 निरस्त किया जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट करौली को अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल कर नवीनीकरण किए जाने के आदेश दिए जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट करौली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 18.09.2020 को मियाद बाहर अपील पेश किए जाने पर अपील को मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी माह जनवरी 2020 में होने, निर्णय की नकल 02.03.2020 को मिलने एवं इसके बाद कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगने के कारण परिवहन बन्द होने से अन्दर मियाद अपील पेश नहीं किए जा सकने व परिवहन प्रारम्भ होते ही अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथ्यों पर विश्वास नही करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न नजीरों में इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा अपील को तकनीकी बिन्दु पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण पर देखा जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रश्न के गुणावगुण का प्रश्न है तो जिला मजिस्ट्रेट करौली के कार्यालय से प्राप्त हुई अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पंचायतीराज संस्थाओं के आमचुनाव 2015 के संबंध में जारी आदेश दिनांक 29.12.2014, पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1141 दिनांक 31.01.2015 व जिला मजिस्ट्रेट करौली का आदेश कमांक 519 दिनांक 04.02.2015 संलग्न किया हुआ है। इस पत्रावली में न तो अपीलान्ट या अन्य अनुज्ञाधारियों को जारी किए गए नोटिस ही संलग्न है और न ही स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गई सूचना की प्रति ही संलग्न है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में यह उल्लेख किया गया है कि पंचायत चुनाव 2015 के समय वह जीविकोपार्जन हेतु उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा था। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से जारी आदेश दिनांक 29.12.2014 एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना की जानकारी नहीं हो सकी। वर्ष 2018 के चुनाव से पूर्व निवास स्थान पर आकर रहने व उक्त चुनाव के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित आदेश के कम में पुलिस थाना टोडाभीम में शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 55225 जो कि अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज है को जमा कराया गया है। जिसकी रसीद अपील के साथ पेश की गई है। इसलिए यह माना जाना कि अपीलान्ट को जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से जारी किए गए आदेश दिनांक 29.12.2014 की जानकारी होने के बाबजूद भी शस्त्र थाने में जमा नहीं कराया गया, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2015 जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए जाने का कोई रिकार्ड अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 1141 दिनांक 31.01.2015 में वर्णित सूची में से 23 व्यक्तियों के शस्त्र अनुज्ञा पत्र जिसमें कम संख्या 13 पर अपीलान्ट के नाम का उल्लेख है, को अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर जब्त सरकार किए जाने के आदेश दिए हैं, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अग्रिम आदेश तक निलम्बित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। इसके बाद अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र के संबंध में किसी प्रकार का कोई अन्यथा आदेश जारी किए जाने का कोई रिकार्ड उक्त पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या शस्त्र का दुरूपयोग किए जाने का कोई रिकार्ड भी पत्रावली में संलग्न

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नही है। अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को पंचायत चुनाव 2015 के परिप्रेक्ष्य में जमा नहीं करवाए जाने के कारण पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अन्य अनुज्ञा पत्रधारियों के साथ निलम्बित किया गया था। अपीलान्ट की ओर से वर्ष 2018 के चुनाव में अपने शस्त्र को पुलिस थाना टोडाभीम में जमा करवा दिया गया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित किए जाने का आदेश पारित किया गया है, को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश कमांक 519 दिनांक 04.02.2015 में कम संख्या 13 पर अंकित गोपाल सिंह पुत्र मोतीसिंह के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित किए जाने के आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट करौली को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करने, पुलिस अधीक्षक करौली से पुनः रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद न्यायिक विवेक का उपयोग कर आयुध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल बर्मी)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर